

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-17/विविध 1-139/2024

पटना, दिनांक— / . /2025

डा० संजय कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना की नियुक्ति/पदस्थापन बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-536(17) दिनांक-11.06.2024 द्वारा सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि), प्लास्टिक सर्जरी विभाग के पद पर की गयी है। उक्त के आलोक में डा० संजय कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक-12.06.2024 को अपना योगदान समर्पित किया गया है।

2. इसके पूर्व डा० संजय कुमार गुप्ता, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधीन दिनांक-03.07.1997 (प्रथम योगदान) से 11.06.2024 तक की अवधि में विभिन्न पदों यथा-सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक, चिकित्सा पदाधिकारी, सीनियर रेजिडेंट, सहायक प्राध्यापक (संविदा-BHS) एवं सह-प्राध्यापक (संविदा-BHS) के पद पर कार्यरत थे।

3. बिहार पेंशन नियमावली के नियम-56 के आलोक में डा० संजय कुमार गुप्ता के द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधीन प्रथम योगदान की तिथि दिनांक-03.07.1997 से 11.06.2024 तक की अवधि में की गयी सेवा अवधि की गणना पुरानी पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करने तथा उसे वर्तमान सेवा (सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि), प्लास्टिक सर्जरी विभाग) के साथ परिगणित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध 1-139/2024 - 799/17) पटना, दिनांक :-25/07/2025

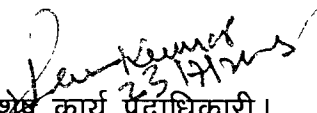
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० संजय कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।